आदेश की कमांक एवं तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद सं0 40/2016–17

गणेश मुर्मू –बनाम– सोना सोरेन

–: आदेश :–

10.5.2019– यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 वाद सं0 20/2014–15 (गणेश मुर्मू –बनाम– दीनयाल यादव एवं सोना सोरेन) में दिनांक 02.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील पर प्रारम्भ किया गया।

प्रथम पक्ष– अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मौजा बड़ा पचगढ़ नं0 30, जमाबंदी नं0 83, दाग नं0 815 रकवा 00–07–05 धुर भूमि उनके दादा ससुर किशुन सोरेन के नाम से खतियान में दर्ज था। उक्त भूमि अपीलार्थी के ससूर महा सोरेन के नाम से हाल सर्वे सेटलमेन्ट में दर्ज है। अपीलार्थी की शादी दिनांक 18.04.1986 को संथाली रीति रिवाज से महा सोरेन की छोटी पुत्री तुलसी सोरेन के साथ घरजमाई के रूप में हुई है। शादी के बाद से ही ससुराल में अपने परिवार के साथ घरजमाई के रूप में रहते आ रहे है एवं अपने ससुर महा सोरेन की सारी संपत्ति पर भोग दखल करते आ रहे है। दिनांक 30.01.2011 को ससुर के मृत्यु के बाद सारी सम्पत्ति उनका हो गया एवं उस जमीन का प्रधानी खाजाना रसीद भुगतान करते आ रहे है। विपक्षीगणों द्वारा जोर–जबरदस्ती अवैध रूप से दाग नं0 815 की भूमि रकवा 07 कट्ठा 05 धुर पर मकान बना लिया गया है।

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के समक्ष उच्छेदी वाद दायर कर उक्त भूमि से संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–20 एवं 42 के तहत् उत्तरवादी को उच्छेद करने का अनुरोध किया गया। अंचल अधिकारी, बोरियो से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बावजूद उत्तरवादीगण को उच्छेद नहीं कर अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसके कारण इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

उनका यह भी कहना है कि बड़ा पचगढ़ मौजा की भूमि दामिन–ई–कोह क्षेत्र में पड़ता है। उक्त भूमि किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी के ससुर के मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थी के ससुर के सम्पूर्ण भूमि अपीलार्थी के नाम से सर्वे सेटलमेन्ट में अंकित हो गया है, जिसका पर्चा अपीलार्थी को प्राप्त है। अनुरोध है कि अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के आर0ई0 वाद संख्या 20/2014–15 में दिनांक 02.08.2016 को पारित आदेश को रद्ध करते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाय।

द्वितीय पक्ष–उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा सभी तथ्यों को सुन कर एवं जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन कर आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी घरजमाई का दावा करते है। किन्तु वह घरजमाई का अधिकार को नहीं जानते है। घरजमाई को संपत्ति का सारा अधिकार नहीं दिया जा सकता है, बल्कि उनका काम जीवित काल तक सम्पत्ति का देख भाल करने का होता है, जिसका उल्लेख प्रावधान में किया गया है। उनका जमीन का मालिकाना हक होने का दावा करना बिलकुल गलत है। सर्वे सेटलमेन्ट में नाम दर्ज कराने के पूर्व उत्तरवादी को नोटिस होना चाहिए था, परन्तु उत्तरवादी को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दिया गया। उत्तरवादी आदिवासी समुदाय के है। कोई भी आदिवासी अपने समुदाय के लोगों को दान–पत्र के रूप में भूमि दान कर सकते है।

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

उत्तरवादी सोना सोरेन उक्त जमीन को जबरन दखल नहीं की है। अपीलार्थी अपनी पत्नी को मार-पीट कर घर से भगा दिया है, जो किसी प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही है। पिता के सम्पत्ति का दावा पुत्री ही कर सकती है न कि घरजमाई (दामाद)। सम्पत्ति के लोभ में पत्नी को घर से भगाया गया है। अपीलार्थी की पत्नी तुलसी सोरेन जमाबंदी रैयत की पुत्री है इसलिए उन्होंने उत्तरवादी सोना सोरेन को जमाबंदी नं0 83 दाग नं0 815 रकवा 00-07-05 (सात कट्ठा पाँच धुर) जमीन में से 00-03-10 (तीन कट्ठा दस धुर) जमीन में घर बना कर निवास करने हेतु दान स्वरूप दिये है, जिसपर उत्तरवादी पक्का का मकान बना कर बसोवास कर रहे है। उनका यह भी कथन है कि सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, दुमका से कोई सूचना उत्तरवादी को नहीं दिया गया है, जिसके कारण उत्तरवादी द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा जा सका। अपीलार्थी द्वारा उत्तरवादी को पार्टी बनाना चाहिए था।

अंचल अधिकारी, बोरियो के स्थल जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट प्रतिवेदित किया गया है कि खतियानी रैयत की पोती तुलसी सोरेन, पिता-स्व0 महा सोरेन, पति-गणेश मुर्मू दिनांक 20.11.2013 को बसोवास हेतु दान-पत्र के द्वारा उत्तरवादी सोना सोरेन, पति-बबलू हेम्ब्रम, ग्राम-सगड़भंगा, थाना-तालझारी को दान दिया गया है, जिसपर उत्तरवादी पक्का मकान बना कर निवास कर रही है। प्रतिवेदन में इस बात का भी उललेख है कि तुलसी सोरेन को उनके पति एवं पुत्री मिलकर घर से निकाल दिये है। जबकि जमीन के मालिक को उनके सम्पत्ति से भगा कर पूरे सम्पत्ति को घरजमाई कह कर हड़पने की साजिश की गई है।

उनका यह भी कहना है कि खतियानी रैयत के पुत्री तुलसी सोरेन को उनके अधिकार के सम्पत्ति से बेदखल कर अपीलार्थी द्वारा उनके पति होने का गलत लाभ हेतु निम्न न्यायालय में दावा किये थे, जिसके कारण अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अपीलार्थी के दावा को खारिज कर दिया गया है। उनका दावा है कि एस0पी0टी0 अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 पर उल्लेख है कि घरजमाई वास्तव में पत्नी के पिता की सम्पत्ति के मैनेजर के रूप में कार्य करेगा। उसे पत्नी के जीवन काल में सम्पत्ति में किसी प्रकार का स्वामित्व का अधिकार नहीं होता होगा। यदि उसकी पत्नी की मृत्यू हो जाती है तो उस स्थिति में विधवा जैसी हो जाते है, जो मात्र भरण पोषण के अधिकारी होते है।

उनका यह भी कहना है कि अपीलार्थी ने हाल सर्वे में अपना नाम चुपके से दर्ज करा लिये है, जो उनकी गलत नियत को दर्शाता है। खतियानी रैयत के पोती तूलसी सोरेन को इस संबंध में कुछ भी जानकारी नहीं है। हाल सर्वे में दर्ज नाम फाईनल पर्चा नहीं माना जा सकता है। अतः इस आधार पर भी अपीलार्थी का दावा नहीं माना जा सकता है। संथाल लड़की का विवाह घरजमाई रूप से जैसे ही होता है, वह उत्तराधिकार एवं अन्य कार्यो हेतु पुत्र हो जाती है, जो संथाल परगना भूधारण (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम 1979 में प्रावधान किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी द्वारा जो भी दावा किया जा रहा है, वह उपरोक्त प्रावधान के आलोक में योग्य नहीं है। अतएव उपरोक्त नियम एवं तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल रखने की कृपा की जाय।

निर्णय-उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न कागजातों तथा अपीलार्थी की पत्नी तुलसी सोरेन द्वारा दाखिल शपथ पत्र एवं संथाल परगना भूधारण (अनुपूरक उपबंध) अधिनियम की छाया प्रति का अवलोकन किया। सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी नियम के विरूद्ध कार्य किये है। जहाँ तक अपील आवेदन में निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का प्रश्न है। निम्न न्यायलय द्वारा पारित आदेश न्याय संगत प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा

Scanned with CamScanner

...ी क्रमांक तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाही 3
	दाखिल अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बहाल रखा जाता है। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आदेश उभय पक्षों को दिखायें। लेखापित एवं संशोधित। 10/05/19 उपायुक्त, साहेबगंज। 10/05/19 उपायुक्त, साहेबगंज।	Seen

Scanned with CamScanner